न्यायालय अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अरूण कुमार हसीजा, आर.ए.एस.

राजस्व/अपील सं. 40/2015

अपीलान्ट

1. सताराम पुत्र कालूराम
2. जुगताराम पुत्र कालुराम
3. पप्पाराम पुत्र कालुराम
4. बुधाराम पुत्र कालुराम
5. मंगलाराम पुत्र कालुराम

जातियान कुम्हार, निवासीगण सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. हुकमाराम पुत्र फुसाराम, जाति कुम्हार, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर
2. सांगसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी देवराजगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
3. भोमसिंह पुत्र श्री भंरसिंह जाति राजपूत, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
4. खेतसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह, जाति राजपूत, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
5. रघुवीरसिंह पुत्र श्री दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी बडोड़ा गांव, तहसील व जिला जैसलमेर।
6. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर, 36, न्यू रूपनगर, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर।
7. तहसीलदार तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1406 ग्राम सोलंकिया तला को दिनांक 12.10.2015 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत।
2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 6 की ओर से भूपतसिंह जोधा।

::– आ दे श –:: **दिनांकः 15.06.2016**

पत्रावली आज केम्प कोर्ट तहसील बालेसर में पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1406 ग्राम

सोलंकिया तला को दिनांक 12.10.2015 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष खातेदारी घोषणा का गवाह इस आधार पर पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 सं. 1 के पिता का 1/2 हिस्सा था, लेकिन नाम दर्ज नही हुआ। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्राथमिक डिग्री दिनांक 06.10.2015 को जारी की गई। लेकिन डिग्री पर्चा जारी नही हुआ था। न ही अन्तिम डिग्री जारी हुई थी। इससे पहले ही तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 के नाम से म्युटेशन सं. 1406 पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश करने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड भी तलब किया गया। जो प्राप्त हो चुका है। इस प्रकरण में सांगसिंह पुत्र सवाईसिंह वगैरा की तरफ से अभिभाषक श्री भूपतसिंह जोधा ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर प्रार्थीगणों को बतौर रेस्पो0 को पक्षकार बनाया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर बहस सूनकर न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
इनको भी पक्षकार संयोजित किया गया।

1. सांगसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी देवराजगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. भोमसिंह पुत्र श्री भंरसिंह जाति राजपूत, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
3. खेतसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह, जाति राजपूत, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
4. रघुवीरसिंह पुत्र श्री दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी बडोड़ा गांव, तहसील व जिला जैसलमेर।
5. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर, 36, न्यू रूपनगर, बी.जे. एस. कॉलोनी, जोधपुर।

प्रकरण में नियत केम्प कोर्ट दिनांक 25.05.2016 बमुकाम कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ में रखी गई थी। इस दिन अपीलाण्ट मंगलाराम, पप्पाराम व जगताराम पुत्र कालूराम उपस्थित हुए। उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश केम्प कोर्ट शेरगढ़ में उपस्थित नही हुए और पक्षकारों को आगामी तारीख पेशी 15.06.2016 केम्प कोर्ट तहसील कार्यालय बालेसर में आयोजन की सूचना दी गई।

केम्प कोर्ट दिनांक 15.06.2016 को अपीलाण्ट मंगलाराम उपस्थित हुआ। व उसने कथन किया कि यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1406 ग्राम सोलंकिया तला को दिनांक 12.10.2015 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष खातेदारी घोषणा का गवाह इस आधार पर पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 सं.

1 के पिता का 1/2 हिस्सा था, लेकिन नाम दर्ज नही हुआ। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्राथमिक डिग्री दिनांक 06.10.2015 को जारी की गई। लेकिन डिग्री पर्चा जारी नही हुआ था। न ही अन्तिम डिग्री जारी हुई थी। इससे पहले ही तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 के नाम से म्युटेशन सं. 1406 पारित कर दिया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि खातेदारी वाद में जब तक अंतिम डिग्री जारी नही की जाती, जब तक नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया जा सकता। लेकिन तहसीलदार शेरगढ़ ने प्राथमिक डिग्री के आधार पर ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है, जो गलत है। और उक्त म्यूटेशन के आधार पर दिनांक 14.10.2015 को भूमि का बैंचान भी कर दिया। और अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में विचाराधीन वाद में रेस्पो0 1 हुकमाराम ने आपसी समझौते के अनुसार राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1406 ग्राम सोलंकिया तला का जो दिनांक 12.10.2015 को स्वीकृत किया गया है को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

रेस्पो0 बावजूद ईत्तिला सूचना नोटिस के आज अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण में मैरिट के आधार पर निर्णय किया जा रहा है।

हमने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथन पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के यहां पक्षकारों के मध्य खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने प्राथमिक डिग्री दिनांक 06.10.2015 को पारित की थी। लेकिन मूल वाद विचाराधीन है। उक्त न्यायालय में पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त राजीनामे के अनुसार प्राथमिक डिग्री दिनांक 06.10.2015 को निरस्त किये जाने हेतु रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में सहमति भी प्रदान की गई है। अतः उक्त प्रकरण में पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के अनुसार राजीनामा हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1406 ग्राम सोलंकिया तला जो दिनांक 12.10.2015 को स्वीकृत किया गया, को एतद् निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 15.06.2016 को केम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।